विधि हिम्मत कटारिया और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 885 वर्ष 2019)

अक्टूबर 04, 2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति]

शिक्षा/शैक्षिक संस्थान: प्रवेश - विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी के तहत आरक्षण -

एमबीबीएस पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए - याचिकाकर्ता-छात्रों ने प्रवेश से इनकार कर दिया क्योंकि वे अधिसूचना दिनांक 4.2.2019 के परिशिष्ट 'एच' के अनुसार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे - सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका जिसमें उन्हें पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र मानने और एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की गई है - दलील दी गई कि वे अधिसूचना दिनांक 4.2.2019 द्वारा शासित नहीं थे क्योंकि चयन की प्रक्रिया अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 1.11.2018 को शुरू हो गई थी - आयोजित: पात्रता मानदंड पर विचार करने की प्रासंगिक तिथि वह तिथि होगी जिस दिन प्रवेश मांगा गया है - प्रवेश की तारीख से पहले अधिसूचना जारी और प्रकाशित की गई थी - इसलिए, याचिकाकर्ता-छात्र अधिसूचना द्वारा शासित होंगे - इसके अलावा, जब क्षेत्र के विशेषज्ञों ने उनके खिलाफ राय दी है, तो अदालत का ऐसी राय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठना उचित नहीं है।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:-

परिशिष्ट 'एच' के अनुसार आवश्यक पात्रता मानदंड पर उस समय विचार किया जाना आवश्यक है जब उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश चाह रहे थे। यहां तक कि पीडब्ल्यूडी कोटा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को वास्तव में प्रवेश के समय और एनईईटी परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। इसलिए, परिशिष्ट 'एच' के अनुसार आवश्यक पात्रता मानदंडों पर विचार करने की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जिस दिन उम्मीदवारों - याचिकाकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत एमबीबी पाठ्यक्रम में प्रवेश मांगा था। इससे बहुत पहले, अधिसूचना दिनांक 4.2.2019 जारी और प्रकाशित की जा चुकी है और इसलिए संबंधित याचिकाकर्ता दिनांक 04.02.2019 की अधिसूचना द्वारा शासित होंगे।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अपीलीय बोर्ड और यहां तक कि एम्स, नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड सहित सभी विशेषज्ञ निकायों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राय दी है और उनके मामलों पर परिशिष्ट 'एच' में उल्लिखित प्रासंगिक आवश्यक पात्रता मानदंडों के आलोक में विचार किया गया है। ' - 'दोनों हाथ बरकरार, बरकरार संवेदना, पर्याप्त ताकत और गति की सीमा के साथ।' इसलिए, जब क्षेत्र के विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राय दी है, तो विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई राय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठना न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा, खासकर जब दुर्भावना के कोई आरोप न हों। [पैरा 7 और 8] [828-जी-एच; 829-ए-डी]

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 885 वर्ष 2018

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।)

साथ

रिट याचिका (सिविल) संख्या 900/2019 और 1026/2019

गोविंद जी, कृष्ण कुमार सिंह और सैयद मुसैब याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

ए.के. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत सिंह, विकास बंसल, दीपक गोयल, आर. आर. राजेश, राज बहादुर यादव, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, प्रसन्न मोहन, अनिरुद्ध पी. मायी, ए. राजराजन और संजीव के उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति एम. आर. शाह द्वारा सुनाया गया।

1. सभी रिट याचिकाओं में, संबंधित याचिकाकर्ता - छात्रों ने उत्तरदाताओं को निर्देशित करते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश के लिए प्रार्थना की है -राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) के तहत आरक्षण के लिए पात्र मानेगी और उन्हें शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश देगी। संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि वे सभी एमबीबीएस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पात्र हैं और उन्हें पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत प्रवेश दिया जाएगा क्योंकि वे 'लोकोमोटर विकलांगता' से पीड़ित हैं। ये सभी PwD कोटा के तहत आरक्षित श्रेणी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश चाह रहे हैं।

2. विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद '2016 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 32, जो 19.04.2017 से लागू हुई, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 5% आरक्षण का प्रावधान करती है। . तदनुसार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2016 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को 5% सीटें प्रदान करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए एमबीबीएस स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की प्रक्रिया अक्टूबर, 2018 के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई और पात्र उम्मीदवारों को 01.11.2018 से 30.11.2018 के बीच ऑनलाइन आवेदन जमा करना था। एडमिट कार्ड 15.04.2019 को जारी किए गए थे और परीक्षा 5.5.2019 को आयोजित की गई थी, जिसके बाद 5.6.2019 को परिणाम घोषित किया गया था। सभी संबंधित याचिकाकर्ता NEET (UG) 2019 में उपस्थित हुए और सफल घोषित किए गए। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस बीच, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिक्रमण में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दिनांक 4.2.2019 की अधिसूचना द्वारा स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1997 के नियमों में संशोधन किया। जिसके तहत परिशिष्ट 'एच' को पूर्ववर्ती विनियम 2017 में जोड़ा गया - निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बेंचमार्क विकलांगता) होने का प्रावधान है। परिशिष्ट 'एच' में आगे प्रावधान किया गया है कि 'शारीरिक विकलांगता या लोकोमोटर विकलांगता' के मामले में, आवेदक का मूल्यांकन "दोनों हाथ बरकरार, बरकरार संवेदना, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा" के रूप में किया जा सकता है, जो चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए आवश्यक है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उसके बाद NEET (UG) 2019 का परिणाम जून, 2019 में प्रकाशित हुआ। आवश्यकता के अनुसार, सभी संबंधित याचिकाकर्ता मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए। हालाँकि, सभी संबंधित याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा 29.06.2019 को प्रकाशित सूची में अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 के परिशिष्ट 'एच' के अनुसार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं को मेडिकल कोर्स के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता मेडिकल अपीलीय बोर्ड के सामने पेश हुए और मेडिकल अपीलीय बोर्ड ने भी याचिकाकर्ताओं को मेडिकल कोर्स के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसलिए, संबंधित याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त राहतों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिकाओं को प्राथमिकता दी है।

3. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए पीडब्ल्यूडी की आरक्षित श्रेणी के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ताओं का मामला दिनांक 04.02.2019 की अधिसूचना द्वारा शासित नहीं होगा और वे एमसीआई विनियम, 2017 द्वारा शासित होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता सुनिश्चित करने की प्रासंगिक तारीख उस तारीख को निर्धारित की जानी है जब चयन की

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी 01.11.2018 को। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रासंगिक तिथि पर एमसीआई विनियम, 2017, दिनांक 22.01.2018, लागू थे और इसलिए मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्रता उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जानी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विनियम, 2017 में संशोधन करने वाली अधिसूचना का परिशिष्ट 'एच', जो 04.02.2019 से लागू हुआ, इसलिए लागू नहीं होगा।

3.1 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा कि कानून के तय प्रस्ताव के अनुसार, खेल के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। अपनी उपरोक्त दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 55 वर्ष 2019, जनहित अभियान बनाम भारत संघ शीर्षक में इस न्यायालय के दिनांक 30.05.2019 के हालिया फैसले पर बहुत भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने माना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 के मेडिकल पीजी के लिए चयन प्रक्रिया के बीच में लागू नहीं किया जा सकता है, जो नवंबर 2018 में शुरू हुई थी, जबकि ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षित करने की अधिसूचना फरवरी/मार्च 2019 में आई थी।

3.2 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी याचिकाकर्ता विनियम, 2019 के तहत पात्र हैं क्योंकि वे 40-80% के बीच आवश्यक प्रतिशत विकलांगता को पूरा करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि PwD के तहत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत विकलांगता 40% है। यह प्रस्तुत किया गया है कि "पीडब्ल्यूडी मेडिकल कोर्स के लिए पात्र नहीं है" विनियम, 2019 के अनुसार 80% से अधिक और उससे अधिक बताया गया है, जो कि मामला नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विनियम 2019 के प्रासंगिक प्रावधान "दोनों हाथ बरकरार, बरकरार संवेदना के साथ, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा पर विचार किया जाना आवश्यक है" राज्य सरकार द्वारा मनमाने तरीके से और दिमाग का उपयोग किए बिना याचिकाकर्ताओं को चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए गैर-अनुकूलित करने के लिए लागू किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को मेडिकल कोर्स के लिए पात्र नहीं मानने से इनकार करते समय, राज्य सरकार ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि दिव्यांगजन को परिशिष्ट 'एच' में उल्लिखित मापदंडों सहित कुछ समस्याएं हैं। विनियम, 2019 के खंड 4(1) के खंड (एफ) के साथ सनसनी, पर्याप्त ताकत और गति की सीमा पर विचार करना आवश्यक है।

3.3 याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विनियम, 2019 के खंड 4(1) के खंड (एफ) के साथ परिशिष्ट 'एच' में उल्लिखित

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मापदंडों को लागू करते समय [दोनों हाथ बरकरार, बरकरार संवेदना के साथ, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा पर विचार करना आवश्यक है], राज्य सरकार ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि, याचिकाकर्ता संख्या 1 के पास अच्छी मांसपेशी शक्ति है, वह पकड़ और दैनिक जीवन की गतिविधियों को संशोधन के साथ करता है; याचिकाकर्ता संख्या 3 का दाहिना भाग प्रभावी है और उसका दाहिना हाथ बिल्कुल ठीक है; बाएं हाथ में गति की सीमा शून्य नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित है, दैनिक जीवन की गतिविधियां थोड़ी कठिनाई के साथ होती हैं और प्रभावित (बाएं) हाथ की मांसपेशियों की शक्ति भी अच्छी होती है; रिट याचिका (सिविल) संख्या 900 वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता का दाहिना भाग प्रभावी है और उसका दाहिना हाथ बिल्कुल ठीक है; प्रभावित शरीर का अंग केवल बायां हाथ है। बाएं हाथ में संशोधन के साथ अच्छी चुटकी है और ऊपरी अंग दाहिनी ओर से दैनिक गतिविधियां करता है; रिट याचिका (सिविल) संख्या 1026 वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता का बायां हाथ प्रभावी है और उसका बायां हाथ बिल्कुल ठीक है; प्रभावित शरीर का अंग केवल दाहिना हाथ है।

3.4 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान याचिकाओं को स्वीकार करने और उत्तरदाताओं को योग्यता के अनुसार पीडब्ल्यूडी कोटा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।

4. वर्तमान याचिकाओं का गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध पी. माई ने पुरजोर विरोध किया है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित याचिकाकर्ता दिनांक 04.02.2019 की अधिसूचना के अनुसार मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित याचिकाकर्ताओं के मामले पर न केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा बल्कि मेडिकल अपीलीय बोर्ड द्वारा भी विचार किया गया था और विशेषज्ञों ने विशेष रूप से राय दी है कि संबंधित याचिकाकर्ता पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि बाद में भी याचिकाकर्ताओं की जांच एम्स नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई थी और यहां तक कि एम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राय दी थी और कहा था कि संबंधित याचिकाकर्ता पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब विशेषज्ञों ने राय दी है कि संबंधित याचिकाकर्ता मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे विनियम, 2019 के अनुसार अपेक्षित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. वर्तमान याचिकाओं का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी पुरजोर विरोध किया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिक्रमण में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विकलांगता वाले व्यक्तियों के मुद्दे से निपटने के दौरान एमसीआई ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसमें विभिन्न विशिष्टताओं में प्रतिष्ठित डॉक्टरों को शामिल किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि एमसीआई अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 के माध्यम से ग्रेजुएट मेडिकल रेगुलेशन, 1997 में किए गए संशोधन निदेशक, एम्स, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/ सिफारिशों के अनुसार हैं।

5.1 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि डॉक्टर बनने के बाद एमबीबीएस कोर्स करने वाला एक मेडिकल छात्र मनुष्यों का इलाज करेगा और यह बहुत आवश्यक है कि एक छात्र एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दौरान आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि विनियम 4(3) को एमसीआई अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 द्वारा स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 1997 में प्रतिस्थापित किया गया है। जिसमें यह प्रावधान है कि 5% सीटें 2016 अधिनियम के तहत निर्दिष्ट "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों" के लिए आरक्षित होंगी। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिस्थापित विनियम 4(3) आगे प्रावधान करता है कि 2016 अधिनियम की अनुसूची में दी गई निर्दिष्ट विकलांगता को विनियमों के परिशिष्ट 'एच' में अपनाया और शामिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आगे प्रदान करता है कि चिकित्सा में पाठ्यक्रम करने के लिए निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों की पात्रता को परिशिष्ट 'एच' के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। - एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में 2016 अधिनियम के तहत "विशिष्ट विकलांगता" वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश।

5.2 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एमसीआई अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 में परिशिष्ट 'एच' अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि 40% से कम लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्ति एमबीबीएस पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र हैं, लेकिन वे पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत आरक्षण का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि जब संबंधित याचिकाकर्ता दिनांक 04.02.2019 की अधिसूचना के परिशिष्ट 'एच' के अनुसार प्रवेश मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और यहां तक कि सभी विशेषज्ञ निकाय भी - मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अपीलीय बोर्ड और

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

यहां तक कि एम्स, नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने भी राय दी है कि संबंधित याचिकाकर्ता एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं, संबंधित याचिकाकर्ताओं को पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करना सही है।

5.3 अब जहां तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन है कि दिनांक 04.02.2019 की अधिसूचना लागू नहीं होगी और पूर्ववर्ती नियम लागू होंगे और प्रासंगिक तारीख वह तारीख होनी चाहिए जिस दिन प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है यानी नवंबर 2018 के महीने में यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि पात्रता मानदंड के लिए प्रासंगिक तिथि वह तिथि होगी जिस दिन याचिकाकर्ताओं को प्रवेश मिलना था। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि जिस तारीख को याचिकाकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित हुए थे, वह प्रासंगिक तारीख होनी चाहिए और अधिसूचना 04.02.2019 को लागू हुई, वही लागू होगी।

5.4 उपरोक्त दलीलें देते हुए, वर्तमान रिट याचिकाओं को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।

6.1 संबंधित याचिकाकर्ता लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित हैं और वे पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 एवं परिशिष्ट 'एच' के अनुसार - एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में 2016 अधिनियम के तहत 'विशिष्ट विकलांगता' वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश, 40% से कम लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित उम्मीदवार एमबीबीएस पाठ्यक्रम करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन PwD कोटा के तहत आरक्षण का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इसमें आगे प्रावधान है कि चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए योग्य माने जाने के लिए 'दोनों हाथ बरकरार, बरकरार संवेदना, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा' के साथ' आवश्यक हैं। मेडिकल बोर्ड मेडिकल अपीलीय बोर्ड और यहां तक कि एम्स नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार संबंधित याचिकाकर्ता पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि वे परिशिष्ट 'एच' के अनुसार आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए, संबंधित याचिकाकर्ता परिशिष्ट 'एच' के अनुसार प्रदान किए गए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसलिए वे पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

7. यह मुख्य रूप से याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है और याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि NEET UG 2019 ब्रोशर 01.11.2018 को जारी किया गया था और विनियम, 1997 में संशोधन करने वाली अधिसूचना जिसके तहत परिशिष्ट 'एच' को पूर्ववर्ती विनियम, 2017 में जोड़ा गया है, 04.02.2019 को जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं के मामले पर 04.02.2019 से पहले के प्रावधानों और विशेष रूप से 01.11.2018 को प्रचलित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त में कोई दम नहीं है। जब याचिकाकर्ताओं को पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना था तो प्रासंगिक आवश्यक पात्रता मानदंड पर विचार करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है और एमसीआई की ओर से दायर उत्तर हलफनामे में कहा गया है कि विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है - "विशिष्ट विकलांग व्यक्तियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश", जिसे 5.6.2018 को आयोजित बैठक में परिषद की कार्यकारी समिति के समक्ष रखा गया था, जिसमें उचित चर्चा और विचार-विमर्श के बाद इसे मंजूरी देने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के कार्यक्रम के मद्देनजर उक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सूचित की जानी चाहिए। हालाँकि शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश के लिए यह एक मसौदा अधिसूचना के चरण में था और एमसीआई द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आलोक में स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में संशोधन नहीं किया गया था, जिसने विकलांगता दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस न्यायालय ने असंशोधित स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 के अनुसार प्रवेश देने का निर्देश दिया। हालाँकि बाद में और शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए प्रवेश दिए जाने से पहले, अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 प्रकाशित की गई है और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में उपरोक्तानुसार संशोधन किया गया है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि 'खेल के नियम बीच में ही बदल दिए गए हैं', जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, परिशिष्ट 'एच' के अनुसार आवश्यक पात्रता मानदंड पर उस समय विचार किया जाना आवश्यक है जब उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश चाह रहे थे। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि PwD कोटा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भी वास्तव में प्रवेश के समय और NEET परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। इसलिए, परिशिष्ट 'एच' के अनुसार आवश्यक पात्रता मानदंडों पर विचार करने की प्रासंगिक तारीख वह तारीख

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

होगी जिस दिन याचिकाकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी कोटा के तहत एमबीबी पाठ्यक्रम में प्रवेश मांगा था। इससे बहुत पहले, अधिसूचना दिनांक 4.2.2019 जारी और प्रकाशित की जा चुकी है और इसलिए संबंधित याचिकाकर्ता दिनांक 04.02.2019 की अधिसूचना द्वारा शासित होंगे।

8. अब जहां तक याचिकाकर्ताओं की ओर से इस दलील का सवाल है कि याचिकाकर्ताओं को प्रवेश देने से इनकार करते समय राज्य सरकार और अधिकारियों ने प्रासंगिक मापदंडों पर विचार नहीं किया है और यह भी नहीं माना है कि संबंधित याचिकाकर्ता अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम हैं, तो यह है यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अपीलीय बोर्ड और यहां तक कि एम्स, नई दिल्ली के मेडिकल बोर्ड सहित सभी विशेषज्ञ निकायों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राय दी है और उनके मामलों पर प्रासंगिक के आलोक में विचार किया गया है। आवश्यक पात्रता मानदंड जैसा कि परिशिष्ट 'एच' में उल्लिखित है - 'दोनों हाथ बरकरार, बरकरार संवेदना, पर्याप्त शक्ति और गति की सीमा के साथ'। इसलिए, जब क्षेत्र के विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राय दी है, तो अदालत को विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई राय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठना उचित नहीं होगा - वर्तमान मामले में, मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अपीलीय बोर्ड और मेडिकल एम्स, नई दिल्ली का बोर्ड, विशेषकर तब जब दुर्भावना के कोई आरोप न हों।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान याचिकाकर्ता प्रार्थना के अनुसार राहत के हकदार नहीं हैं। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर सभी रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

कल्पना के.त्रिपाठी याचिकाएं खारिज।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"